क्रमांक 25 दि० 25/1/2007
नाम ...
पंजिका सं० 22

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
स्टाम्प विक्रेता लाइ० नं० 7 सन 1983
कलक्टर रजिस्ट्री आफिस मथुरा

25 JAN 2007

आज दिनांक **31/01/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **4122**

पृष्ठ सं. **123** से **148** पर क्रमांक **1336**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

हरेन्द्र सिंह
उप निबन्धक
मथुरा
31/1/2007

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 732115

लिहाजा यह बैनामा बखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक–31.1.2007

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

गवाह

गवाह

जनरल स्टाम्प
क्र०सं० 22 दि० 31/1/2007
नाम
स्टाम्प सं० 22 दि०

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस नं० 7 सन 1983
रजिस्ट्रार कार्यालय मथुरा

क्रेता

Registration No. 1336 Year : 2007 Book No. 1

0201 सुदीप कुमार अग्रवाल प्रतिनिधि रासबिहारी
स्व0 श्री जमुना प्रसाद अग्रवाल
111, श्री जगन्नाथ कॉलोनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 667489

29 JAN 2007

11

ही आराजी मे कोई पेड आदि है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नही है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउण्डिंग) मे कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश 2.035 हैक्टेयर मे से अपना बचा हिस्सा 1/3 भूमि बेचा है। अब विक्रेता प्रथमपक्ष का उक्त खसरा नंबर–30 व 200 व 199 मे कोई भी अंश भूमि शेष नही रही है । तसदीकी मुख्तारनामा आम दि0–5.3.2005 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–6 खण्ड 1 के सफा 32/33 पर नंबर–3 पर दिनांक–5.3.2005 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त सुदीप कुमार पुत्र श्री जमुना प्रसाद जी निवासी जमुनाग्राम कालोनी गोवर्धन रोड,मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकारे प्राप्त हैं।

27 ... 2/6/2007 ... 1000

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
स्टाम्प विक्रेता लाइ० नं० 7 सन 1983
कचहरी ... मथुरा विक्रेता

Registration No 1336 Year : 2007 Book No. 1

0101 घनश्याम

तुलसीराम

सतोहा असगरपुर मथुरा

पूजा सेवा

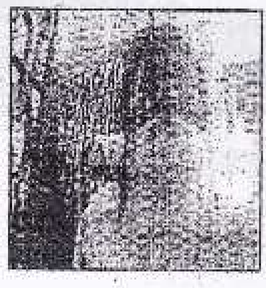
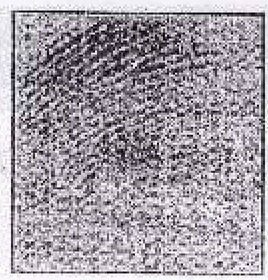

0102 उज्जवल अग्रवाल

सतीश चन्द्र अग्रवाल

मिडलेण्ड कम्पाउण्ड मसानी चौराहा मथुरा

व्यापार

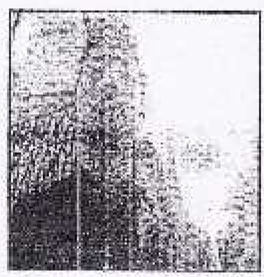
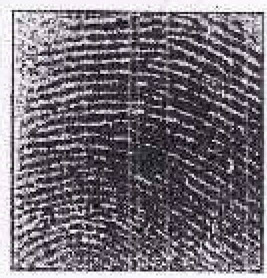

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 667488

STAMP
29 JAN 2007
T.O. Mathura

या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रुपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से व उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हस्ब जाब्ता मय खर्चे के बसूल करले । इसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र नही होगा। आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नही खड़ी है न

क्रमांक 23 दि. 12/1/2007
बही ... जिल्द ... पृष्ठ ... 1402
रजिस्ट्रेशन संख्या 22 दि. ...

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
स्टाम्प विक्रेता लाइ० नं० 7 सन 1983
पैनल रजिस्ट्री आफिस मथुरा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री श्याम सिंह
पुत्र श्री राम सिंह
पेशा व्यापार
निवासी वृन्दावन गेट मथुरा

व श्री ताराचन्द
पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद
पेशा व्यापार
निवासी बालाजीपुरम मथुरा
ने की ।

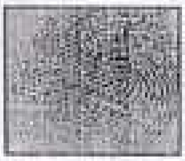

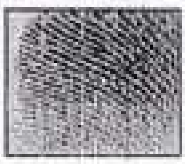

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

देवेन्द्र सिंह
उप निबन्धक
मथुरा
31/1/2007

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 667487

STAMP
29 JAN 2007
S.T.O. Mathura

का 1200000/–रूपये एच0डी0एफ0सी0 बैंक मथुरा शाखा के दो किता चैक प्रथम नंबर–341619 व द्वितीय नंबर–341620 दोनों दिनांक–31.1.2007 प्रत्येक चैक तादादी 600000/–रूपये द्वारा पाये व 1400000/–रूपये पहले ही प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/3 पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया। खरीदार बेची गई आराजी हिस्सा 1/3 का सम्पूर्ण स्वामी हुआ। खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करे अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/3 के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो

जनरल स्टाम्प
क्रमांक 22 दि० 31/1/07
नाम सुदीप कुमार पुत्र जमुना प्रसाद जी
[illegible] जमुना धाम कालोनी मथुरा

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
स्टाम्प विक्रेता लाइ० नं० 7 सन 1963
कचहरी रजिस्ट्री आफिस मथुरा

विक्रय पत्र

2,600,000.00/ 2,600,000.00	5,000.00	20	5,020.00	1,000	
प्रतिफल मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग	

श्री /श्रीमती घनश्याम
पुत्र / पत्नी श्री तुलसीराम
पेशा पूजा सेवा
निवासी स्थायी सतोहा असगरपुर मथुरा
अस्थायी पता सतोहा असगरपुर मथुरा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 31/1/2007 समय 5:52PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

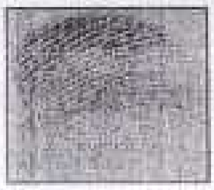

देवेन्द्र सिंह
उप निबन्धक
मथुरा
31/1/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती घनश्याम
पुत्र/पत्नी श्री तुलसीराम
पेशा पूजा सेवा
निवासी सतोहा असगरपुर मथुरा

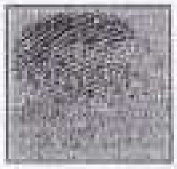

क्रेता
श्री/श्रीमती सुदीप कुमार अग्रवाल
प्रतिनिधि श्री रासबिहारी
पुत्र/पत्नी श्री स्व0 श्री जमुना प्रसाद अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी 111, श्री जमुनाधाम कॉलोनी गोवर्धन चौराहा मथुरा

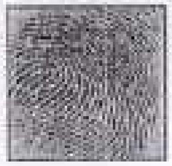

Ujjwal

श्री/श्रीमती उज्जवल अग्रवाल
पुत्र/पत्नी श्री सतीश चन्द अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी मिडलेण्ड कम्पाउण्ड मसानी चौराहा मथुरा

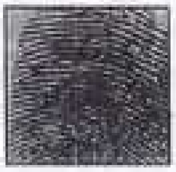

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 058691

STAMP
29 JAN 2007
Sr. T.O. Mathura

(8)

100/–रुपये का स्टाम्प कनकर 111900/–रुपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में मुजरा किया जा रहा है व शेष 148100/–रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण अंश भूमि को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों बएवज 2600000/–छब्बीस लाख रुपया जिसके आधे 1300000/–तैरह लाख रुपया होते हैं। बदस्त सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुनाप्रसाद जी अग्रवाल निवासी 111, श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 182983

STAMP

[illegible]1 JAN 2007

Sr. T.O. Mathura

(7)

भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा बै दिनांक–20.2.2006 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 3515 के सफा 249 / 264 नंबर–1713 पर हुई द्वितीयपक्ष से अन्य भूमि सहित तय किया था मुहायदा बै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। अब द्वितीयपक्ष के कोई अधिकार उक्त मुहायदा बै से शेष नहीं रहे। जिस मुहायदा बै में 112000 / –रुपये का स्टाम्प अदा किया गया था जिसमें से

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 182982

STAMP
11 JAN
Sr. T.O. Mathura

(6)

प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 800000/–रूपया प्रतिएकड़ का हैं और बेचे जाने वाली आराजी रकबा 2.035 हैक्टेयर का हिस्सा 1/3 की स्टाम्प हेतु मालियत 2600000/–रूपया है अब बास्ते खर्च खुद अपनी उक्त आराजी रकबा 2.035 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/3 आराजी बेचनी आवश्यक है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　　　　182981

STAMP
11 JAN 2007
Sr. T.O. Mathura

5

विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नही है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी बार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिलिकयत विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182980

STAMP
11 JAN 2007
Sr. T.O. Mathura

(4)

जो कि आराजी भूमिधरी खाता नंबर–110 व खसरा नंबर–30 रकवा 2.000 हैक्टेयर लगानी 34/50 रुपये सालाना स्थित मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा व खाता नंबर–29 व खसरा नंबर–200 रकवा 0.017 हैक्टेयर व खाता नंबर–66 व खसरा नंबर–199 रकवा 0.018 हैक्टेयर लगानी रुबरु कागजात स्थित मौजा नगला सदौला तहसील व जिला मथुरा तीनों खातों का कुल रकवा 2.035 हैक्टेयर का हिस्सा 1/3 मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 182979

STAMP
31 JAN 20..
Sr. T.O. Mathura

(3)

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुनाप्रसाद जी अग्रवाल निवासी 111, श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा

हमकि घनश्याम पुत्र श्री तुलसीराम निवासी सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व उज्जवल अग्रवाल पुत्र श्री सतीशचन्द अग्रवाल निवासी मिडलेण्ड कम्पाण्ड मसानी चौराहा, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182978

STAMP

11 JAN 2007

St. T.O. Mathura

(2)

इकरारनामा दिनांक–20.2.2006 प्रलेख संख्या–1713 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 148100/–रूपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र द्वारा अदा किया जा रहा है

10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 800000/–रूपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 62 क्रमांक 29 पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा –प्रथम/द्वितीय

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

घनश्याम पुत्र श्री तुलसीराम निवासी सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व उज्जवल अग्रवाल पुत्र श्री सतीशचन्द अग्रवाल निवासी मिडलेण्ड कम्पाण्ड मसानी चौराहा, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

क्रमांक 1 दिनांक 3/1/17 मूल्य 2000/-

नाम सुदीप कुमार पुत्र श्री जमुना प्रसाद

पता 111 श्री जमुनाप्रसाद मालोनी मथुरा

डॉ० नरेश कुमार जाखड़
स्टाम्प विक्रेता
कोषागार, मथुरा

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 1336/07

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20000रु Rs.20000रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs.20000रु INDIA NON JUDICIAL Rs.20000रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182977

STAMP
31 JAN
Sr. T.O. Mathura

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला/ग्राम...मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा व नगला सदौला तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 2.035 हैक्टेयर का हिस्सा 1/3
4. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन...नहीं
6. बोरिंग/कुंआ/अन्य.. नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि..2600000/–.रुपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 2600000/–रुपये
9. स्टाम्प देय 260000/–रुपये जिसमे से 112000/–रुपये का स्टाम्प बजरिये